भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1351

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 27 जुलाई, 2026

5 श्रावण,1948 (शक)

चंद्रपुर में 100 मीटर निर्माण निषेध क्षेत्र की सीमा

1351. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐतिहासिक 'परकोटा' (किले की दीवार) परिसर, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में अत्यधिक सघन आबादी को देखते हुए सरकार के पास वर्तमान में लागू 100 मीटर के निर्माण निषेध क्षेत्र की सीमा को घटाकर 30 मीटर करने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस प्रतिबंधात्मक/कठिन शर्त के कारण स्थानीय नागरिकों के लिए अपने घरों की मरम्मत कराना और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का लाभ उठाना कठिन हो गया है और यदि हां, तो इस संबंध में योजनाबद्ध उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और स्थानीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के अंतर्गत चंद्रपुर शहर के लिए विशेष छूट प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): वर्तमान में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ऐतिहासिक 'परकोटा' (किले की दीवार) के संबंध में मौजूदा 100 मीटर निषिद्ध क्षेत्र को घटाकर 30 मीटर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत निषिद्ध क्षेत्र में पात्र मौजूदा भवनों की मरम्मत या नवीनीकरण और विनियमित क्षेत्र में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से पहले मंजूरी लेकर दी जाती है।राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों और स्थलों (क्षेत्रों) की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आवेदनों पर मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग):प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम में किसी शहर को विशेष छूट देने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है।
